की क्रम सं0 ं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
28/1/2020	**आदेश** प्रस्तुत पी0ए0 वाद संख्या–19/2019–20 आवेदक–बबलु मरांडी, पिता–स्व0 कालेश्वर मरांडी, साकिम–भौड़ाडाबर (महजोरी), थाना व अंचल–मारगोमुण्डा, जिला–देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–भौड़ाडाबर, थाना नं0–453 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा से ज्ञापांक–25/डी0बी0 दिनांक–09.01.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांगी की गई, जो उनके पत्रांक–51/रा0 दिनांक–21.01.2020 के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–भौड़ाडाबर, थाना नं0–453 के जमाबंदी संख्या–3 में जेठू मरांडी प्रधान दिगर के नाम से सर्वे पर्चा में दर्ज है। उक्त मौजा में प्रधानी जोत की भूमि नहीं है। आवेदक बबलु मरांडी अंतिम प्रधान कालेश्वर मरांडी के कनीष्ठ पुत्र है। इस मौजा में कुल जमाबंदी रैयतो की संख्या–11 तथा वार्षिक लगान–128/– रूपया अलावे सेस है। अंतिम प्रधान की मृत्यु हो चुकी है। आवेदक शिक्षित एवं प्रधान के योग्य व्यक्ति है। अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के ज्येष्ठ भाई मनोज मराण्डी द्वारा अपने भाई को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त होने में अपनी सहमति जताई है। फलतः अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा द्वारा आवेदक को अपने ज्येष्ठ भाई के अनापत्ति की स्थिति में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–भौड़ाडाबर, थाना नं0–453 के सोलह आना रकम का प्रधान के पद पर नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किये है। अतः अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा से प्राप्त अनुशंसा एवं मौजा के किसी रैयत से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदक–बबलु मरांडी, पिता–स्व0 कालेश्वर मरांडी, साकिम–भौड़ाडाबर (महजोरी), थाना व अंचल–मारगोमुण्डा, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् वंशानुगत के आधार पर मौजा–भौड़ाडाबर, थाना नं0–453 का सोलह आना रकम का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तद्नुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा को भेजें। **लेखापित एवं शुद्धित** 28/1/2020 — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 28/1/2020 — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	ज्ञापांक 215 ... दिनांक 3-4-21

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2021.11.29 13:56:58 +05:30
Location: 192.168.1.209